



www.iob.in

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
Indian Overseas Bank

आपकी प्रगति का सच्चा साथी
Good people to grow with

**असाधारण सामान्य बैठक
के लिए नोटिस**

30 जनवरी, 2018, चेन्नै

**Notice for
Extraordinary
General Meeting**

30th January, 2018, Chennai



इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

केंद्रीय कार्यालय,
763 अण्णा सालै, चेन्नै - 600 002

शेयरधारकों को नोटिस

एतद्वारा नोटिस दी जाती है कि निम्नलिखित कारोबार को संपन्न करने के लिए मंगलवार, जनवरी 30, 2018 को प्रातः 10.30 बजे सतगुरु ग्ञानानंदा हॉल, नारद गान सभा, 314 टी टी के रोड, आलवारपेट, चेन्नै - 600 018 में **इण्डियन ओवरसीज़ बैंक** के शेयरधारकों को अतिसाधारण सामान्य बैठक आयोजित की जाएगी :

1. **विशेष संकल्प** के रूप में निम्नलिखित संकल्प (संकल्पों) पर विचार करने के लिए तथा यदि उचित पाया गया तो उसे पारित करने के लिए :

“**संकल्प किया गया है कि** किसी भी सांविधिक संशोधनों या पुनर्अधिनियमनों सहित बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 (अधिनियम) की धारा 3 (2बीबीए), बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 17(2) के अनुक्रम में तथा भारतीय रिज़र्व बैंक, भारत सरकार व ऐसे अन्य प्राधिकारियों, जैसा कि इस मामले में आवश्यक हो, से अनुमोदन की शर्त पर 31.03.2017 तक “शेयर प्रीमियम खाते” में जमा शेष के रूप में स्थित रु.7650,06,21,325.42 (रुपये सात हजार छः सौ पचास करोड़, छह लाख, इक्कीस हजार, तीन सौ पच्चीस और पैसे बयालीस मात्र) की राशि में से रु.6978,94,49,295.04 (रुपये छह हजार नौ सौ अठहत्तर करोड़, चौरानबे लाख, उनचास हजार, दो सौ पचानबे और पैसे चार मात्र) की राशि का उपयोग करने के लिए बैंक के शेयरधारकों की अनुमति एतद्वारा प्रदान की जाती है। यह राशि रु.6978,94,49,295.04 (रुपये छह हजार नौ सौ अठहत्तर करोड़, चौरानबे लाख, उनचास हजार, दो सौ पचानबे और पैसे चार मात्र) के नामे शेष (संचित हानियाँ) के समायोजन के लिए बैंक के लाभ व हानि खाते में जमा के रूप में अंतरित करते हुए उस खाते के शेष में लाभ व हानि खाते में तदनुसार कमी की जाएगी और इसे चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान गणना में लिया जाएगा।

यह भी संकल्प किया गया है कि उक्त संकल्प को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से, बोर्ड या इस उद्देश्य हेतु गठित बोर्ड की समिति को एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है कि वह ऐसी सभी कार्यवाहियों, कार्यों, मामलों और चीजों को अपने पूर्ण विवेकाधिकार के तहत अंजाम दें, जिसे वह ज़रूरी और उचित समझती है, ताकि इस संकल्प का प्रभावी कार्यान्वयन हो सके और इस संदर्भ में जो भी सवाल, परेशानियाँ या संदेह उत्पन्न हो, उनका निवारण, जैसा वह अपने पूर्ण विवेकाधिकार में उचित समझती है, कर सके।”

Indian Overseas Bank

Central Office
763, Anna Salai, Chennai – 600 002

NOTICE TO THE SHAREHOLDERS

Notice is hereby given that an Extraordinary General Meeting of the shareholders of **INDIAN OVERSEAS BANK** will be held on Tuesday, January 30, 2018, at 10.30 a.m. at Sathguru Gnanananda Hall, Narada Gana Sabha, 314 TTK Road, Alwarpet, Chennai 600 018, to transact the following business:

1. To consider and if thought fit to pass the following resolution(s) as a **Special Resolution**:

“**RESOLVED THAT** pursuant to Section 3(2BBA) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (Act), Section 17(2) of The Banking Regulation Act, 1949 (B R Act), including any statutory amendments or re-enactments thereof and subject to the approvals of Reserve Bank of India, Government of India and such other authorities as may be necessary in this regard, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to utilize an amount of Rs.6978,94,49,295.04 (Rupees Six Thousand Nine Hundred and Seventy Eight Crore, Ninety Four Lakh, Forty Nine Thousand, Two Hundred and Ninety Five and Paise Four only) out of an amount of Rs.7650,06,21,325.42 (Rupees Seven Thousand Six Hundred and Fifty Crore, Six Lakh, Twenty One Thousand, Three Hundred and Twenty Five and paise Forty Two only) being the balance standing to the credit of ‘Share Premium Account’ as at 31.03.2017 by transfer to the credit of the Profit & Loss Account of the Bank for adjustment of the debit balance (accumulated losses) of Rs.6978,94,49,295.04 (Rupees Six Thousand Nine Hundred and Seventy Eight Crore, Ninety Four Lakh, Forty Nine Thousand, Two Hundred and Ninety Five and Paise Four only) as at 31.03.2017, reducing the debit balance in the Profit & Loss Account accordingly and take the same into account during current Financial Year 2017-18.

RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to the above resolution, the Board or a Committee of the Board for the said purpose be and is hereby authorized to do all such acts, deeds, matters and things as it may at its absolute discretion deem necessary or desirable for effectively implementing the resolution and to settle any questions, difficulties or doubts that may arise in this regard as it may in its absolute discretion deem fit.”



निदेशक मंडल के आदेश द्वारा
कृते इण्डियन ओवरसीज बैंक

(आर. सुब्रमण्यकुमार)
प्रबंधक निदेशक व सीईओ

By Order of the Board of Directors
For Indian Overseas Bank

R SUBRAMANIAKUMAR
Managing Director & CEO

स्थान : चेन्नै
दिनांक : 04.01.2018

Place: Chennai
Date : 04.01.2018

नोट्स :

1) बैठक की कार्यवाही के संबंध में तथ्यात्मक विवरण से संबंधित व्याख्यात्मक कथन अनुबंध में संलग्न हैं :

2) प्रॉक्सी की नियुक्ति :

बैठक में उपस्थित होने और वोट करने के लिए पात्र शेयरधारक स्वयं अपने स्थान पर उपस्थित होने और वोट करने के लिए किसी प्राक्सी को नियुक्त करने के लिए पात्र है और ऐसा प्राक्सी बैंक का शेयरधारक हो, यह जरूरी नहीं है।

प्रॉक्सी को नियुक्त करने संबंधी लिखत को बैंक के केन्द्रीय कार्यालय में कम से कम असाधारण सामान्य बैठक की तिथि से चार दिन पहले अर्थात् गुरुवार, दिनांक 25 जनवरी 2018 को सायं 5 बजे बैंक की कार्यावधि की समाप्ति या उससे पहले तक जमा किया जाना चाहिए।

3) अधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति :

कोई भी व्यक्ति किसी कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट के, जो बैंक के शेयरधारक हैं, विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के तौर पर तब तक बैठक में सहभागिता करने का हकदार नहीं हो सकता जब तक कि उसे विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करते हुए पारित संकल्प की सत्य प्रति, जो कि उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित की हो, जिसमें प्रतिनिधि की नियुक्ति का संकल्प पारित है, बैंक के केन्द्रीय कार्यालय को असाधारण सामान्य बैठक की नियत तारीख से चार दिन पहले अर्थात् गुरुवार, दिनांक 25 जनवरी 2018 को सायं 5 बजे बैंक की कार्यावधि की समाप्ति या उससे पहले जमा नहीं कर देता।

4) बैंक के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को अधिकृत प्रतिनिधि या शेयरधारक के प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है।

5) उपस्थिति पर्ची पास:

शेयर धारकों की सुविधा हेतु उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश पास इस सूचना के साथ संलग्न है। शेयरधारकों/प्रॉक्सी धारकों/प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे पर्ची में प्रदत्त स्थान पर अपने हस्ताक्षर करें और बैठक के स्थान पर उसे अभ्यर्पित करें। प्रॉक्सी / शेयरधारकों के प्राधिकृत प्रतिनिधियों को उपस्थिति सह प्रवेश पर्ची पास में प्रॉक्सी/प्रतिनिधि धारक, जो भी लागू हो, अंकित करना है।

6) अदावी लाभांश, यदि कोई हो

2010-2011 के बाद से जिन शेयरधारकों ने अपने लाभांश वॉरंट को नहीं भुनाया/ लाभांश नहीं प्राप्त किया है, उनसे अनुरोध है कि वे अनुलिपि वारंट जारी करने के लिए बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर अन्तरण एजेंट से संपर्क करें।

Notes:

1. The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of the business of the meeting is annexed hereto.

2. APPOINTMENT OF PROXY

A SHAREHOLDER ELIGIBLE TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF/ HERSELF AND SUCH A PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK.

The instrument appointing proxy should be deposited at the Central Office of the Bank not less than FOUR DAYS before the date of the Extraordinary General Meeting i.e., on or before the closing hours of 05.00 p.m. on Thursday, 25th January 2018.

3. APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE

No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorized representative of a company or any body corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative, certified to be the true copy by the Chairman of the Meeting at which it was passed, shall have been deposited at the Central Office of the Bank not less than FOUR DAYS before the date of the Extraordinary General Meeting, i.e., on or before the closing hours of 05.00 p.m. on Thursday, 25th January 2018.

4. No officer or employee of the Bank shall be appointed as an authorised representative or proxy of a shareholder.

5. ATTENDANCE SLIP

For the convenience of the shareholders, Attendance Slip is annexed to this notice. Shareholders/Proxy holders/ Authorised Representatives are requested to affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue. Proxy/Authorized Representative of shareholders should state on the Attendance Slip as "Proxy" or "Authorized Representative" as the case may be.

6. UNCLAIMED DIVIDEND, IF ANY

The shareholders who have not encashed their Dividend Warrants / received dividend from 2010-11 onwards are requested to contact the Registrar and Share Transfer Agent of the Bank for issue of duplicate.

Pursuant to the amendment of the Act, Section 10B



बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अन्तरण) अधिनियम, 1970 की धारा 10 बी में हुए संशोधन के अनुसार अदावी लाभांश खाते में अन्तरण की तारीख से 7 वर्षों की अवधि के लिए भुगतान न किए गए या अदावी शेष लाभांश की रकम कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 125 (कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 205 सी) के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि (आई ई पी एफ) में अन्तर्गत करनी है।

7. पते में परिवर्तन :

जिन शेयरधारकों के शेयर भौतिक रूप में हैं, उन मामलों में, उनसे अनुरोध किया जाता है कि वे अपने पते में परिवर्तन को निम्नलिखित पते पर, रजिस्ट्रार-व शेयर-अन्तरण एजेंट को भेज दें:

मेसर्स कैमियो कॉर्पोरेट सर्विसेस लिमिटेड
(आइओबी-यूनिट) 5वां तल, सुब्रमणियन बिल्डिंग,
नं.1 - क्लब हाउस रोड, चेन्नै - 600 002

शेयर इलेक्ट्रॉनिक फार्म अर्थात डीमैट खाते के माध्यम से रखने वाले जो शेयरधारक, अपने लाभांश वारंट इत्यादि पर अपने पते में हुए परिवर्तन की सूचना अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागी को दे दें।

8. फोलियो का समेकन :

यह पाया गया है कि कई शेयरधारक एक से अधिक फोलियो यानि विविध फोलियो रखते हैं। कुशल सेवा प्रदान करने के लिए हम शेयरधारकों से अनुरोध करते हैं कि वे अपने शेयर प्रमाणपत्रों को हमारे रजिस्ट्रार व शेयर अन्तरण एजेंट को उनके रिकॉर्ड में आवश्यक सुधार हेतु भेजते हुए फोलियो का समेकन करें।

9. वोटिंग अधिकार

अधिनियम की धारा 3 के उप-खंड (2ई) के प्रावधानों के अनुसार समवर्ती नए बैंक के किसी भी शेयरधारक को केन्द्र सरकार के अलावा, अपने द्वारा धारित किसी भी शेयर के सम्बन्ध में बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल वोटिंग अधिकारों के दस प्रतिशत से अधिक वोटिंग का अधिकार नहीं होगा। अधिनियम, विनियम अधिनियम, योजना एवं विनियमों में किसी प्रकार के संशोधन के मामले में जिसकी वजह से सूचना में दी गई वर्तमान प्रक्रिया में किसी या हिस्से में बदलाव होता है तो संशोधन ही मान्य होगा।

10. रिमोट ई-वोटिंग

एलओडीआर विनियम 2015, सेबी की विनियम 44 (लिस्टिंग बाध्यता एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) एवं स्टॉक एक्सचेंज के साथ लिस्टिंग करार के अनुसरण में बैंक को रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने में खुशी हो रही है जिससे शेयरधारक अपना वोट सूचना में वर्णित मर्दानों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट दे पाएंगे, इसके लिए बैंक ने ई-प्लेटफॉर्म सुविधा प्रदान करने के लिए सेंट्रल डिपॉजिटरीज सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) को रिमोट ई-वोटिंग एजेंसी के तौर पर नियुक्त किया है। ई-वोटिंग वैकल्पिक है। शेयरधारकों / लाभकर्ताओं द्वारा बुधवार तक धारित इक्विटी शेयरों के सम्बन्ध में ही उनके वोटिंग अधिकारों को गणना में लिया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए **मंगलवार 23 जनवरी 2018 अंतिम तिथि** है। बैंक के शेयरधारक जिनके पास अंतिम तिथि तक बैंक के शेयर भौतिक या अमूर्त रूप में हैं, वे अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक तरीके से डाल सकते हैं।

provides that the amount of dividend remaining unpaid or unclaimed for a period of seven years from the date of transfer to the Unpaid Dividend Account is required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) established by the Central Government under Section 125 of the Companies Act, 2013 (Section 205C of The Companies Act, 1956).

7. CHANGE OF ADDRESS

In case of shareholders holding shares in physical form, they are requested to intimate any change in their address to the Registrar and Share Transfer Agent of the Bank

M/s. Cameo Corporate Services Ltd.(Unit - IOB)

5th floor, Subramanian Building, No. 1, Club House Road,
Chennai 600 002

In case of shareholders holding shares in electronic form i.e. through Demat Account, they are requested to intimate to their depository participant any change in their address.

8. CONSOLIDATION OF FOLIOS

It has been found that many shareholders maintain more than one folio (i.e.) multiple folios. In order to provide efficient service, we request the shareholders to consolidate the folios by forwarding their share certificates to Registrar and Share Transfer Agents for necessary corrections in their records.

9. VOTING RIGHTS

In terms of the provisions of sub-section (2E) of Section 3 of the Act, no shareholder of the corresponding new Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank. In case of any amendments to the Act, BR Act, which would result in change of any or part of the existing process as laid in this Notice, the amendment shall prevail.

10. REMOTE E-VOTING

Pursuant to Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, (LODR) and the Uniform Listing Agreement with stock exchanges, your Bank is pleased to provide Remote e-voting facility to enable shareholders to cast their votes electronically on the item mentioned in the notice for which Bank has appointed **M/s. Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL)** as Remote e-voting agency to provide the e-voting platform. E-voting is optional. The E-voting rights of the shareholders/beneficiary owners shall be reckoned on the equity shares held by them as on **Tuesday, 23rd January, 2018 being the Cut-off Date** for the purpose. Shareholders of the Bank holding shares either in physical or in dematerialized form, as on the Cut-off Date, may cast their vote electronically.



11. 30.01.2018 को वोटिंग प्रक्रिया

कार्यवृत्त मदों पर चर्चा के पश्चात, कार्यवृत्त मदों के सम्बन्ध में बैंक वोटिंग आयोजित करेगा। वोटिंग का आयोजन और उसका पर्यवेक्षण इस उद्देश्य के लिए नियुक्त जांचकर्ताओं द्वारा किया जाएगा। सामान्य बैठक के स्थान पर मौजूद शेयरधारकों / प्रॉक्सी(यों)/ प्राधिकृत प्रतिनिधि(यों) द्वारा वोटिंग प्रक्रिया के अंतर्गत वोट डाला जा सकता है। हालांकि, शेयरधारक जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के जरिए अपना वोट पहले ही डाल दिया है वे बैठक के स्थान पर वोटिंग प्रक्रिया में शामिल होने के पात्र नहीं होंगे। वोटिंग की समाप्ति के बाद, अध्यक्ष इस बैठक को समाप्त घोषित करेंगे।

12. वोटिंग परिणाम

बैंक ने मेसर्स श्री एस एन अनन्त सुब्रमण्यम एंड कंपनी, कंपनी सचिव को बैठक में रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया और भौतिक वोटिंग प्रक्रिया को पारदर्शी एवं सही प्रकार से आयोजित करने हेतु संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया है।

संवीक्षक ईजीएम में वोटिंग की समाप्ति के बाद 48 घंटे की भीतर बैठक के अध्यक्ष को विशेष संकल्प के पक्ष में या विरुद्ध में डाले गए कुल वोट का समेकित रिपोर्ट जारी करेंगे।

वोटिंग परिणाम बैंक द्वारा स्टॉक एक्सचेंजों और बैंक की वेबसाइट और सीएसडीएल ई-वोटिंग ऐजेंसी में घोषित करेगा।

रिमोट ई-वोटिंग के लिए अनुदेश निम्न प्रकार से हैं :

सदस्यों से आग्रह है कि वे ई-वोटिंग के जरिए अपना वोट डालने के लिए निम्न अनुदेशों का पालन करें :

- i) ई-वोटिंग की अवधि 27 जनवरी 2018 को सुबह 9:00 बजे (आइएसटी) शुरू होगी और 29 जनवरी 2018 को शाम 5:00 बजे (आइएसटी) को समाप्त हो रही है। इस अवधि के दौरान बैंक के शेयरधारकों को जो उन्हें भौतिक रूप में या बेकागजीकृत रूप में कटऑफ की तिथि 23 जनवरी 2018 धारित किए हुए हैं वे अपना बोट इलेक्ट्रॉनिक रूप से डाल सकते हैं। इसके बाद सीएसडीएल द्वारा ई-वोटिंग माड्यूल को असमर्थ कर दिया जाएगा।
- ii) ई-वोटिंग के लिए शेयरधारकों को वेबसाइट www.evotingindia.com पर लागू आन करना चाहिए
- iii) शेयरहोल्डर्स पर क्लिक करें।
- iv) अब अपनी यूजर आईडी प्रविष्ट करें।
 - क. सीएसडीएल के लिए : 16 अंकों का लाभकर्ता आईडी
 - ख. एनएसडीएल के लिए : 8 कैरेक्टर की डीपी आईडी के बाद 8 अंकों की क्लाइंट आईडी
 - ग. भौतिक रूप में शेयरधारित करने वाले सदस्यों को बैंक के साथ पंजीकृत फोलियो संख्या प्रविष्ट करनी चाहिए।
- v) इसके बाद प्रदर्शित अनुसार इमेज वेरिफिकेशन प्रविष्ट कीजिए और लागू इन पर क्लिक करें।
- vi) यदि आपके पास शेयर डीमैट रूप में है और आप www.evotingindia.com पर लागू आन कर पहले किसी अन्य कंपनी की वोटिंग में वोट डाल चुके हैं तब आपके मौजूदा पासवर्ड का ही प्रयोग किया जाना है।

11. VOTING PROCESS on 30th January 2018

After the agenda item has been discussed, the Bank will conduct voting in respect of the agenda item. Voting will be conducted and supervised by the Scrutinizer appointed for the purpose. The shareholders/Proxy (ies)/ Authorised Representative(s) present at the venue of the general meeting can exercise their votes through voting process. However, the shareholders who have already cast their votes through remote e-voting will not be entitled to participate in the voting process at the venue of the meeting. After conclusion of the voting, the Chairman will declare the meeting as closed.

12. VOTING RESULT

The Bank has appointed M/s. S N ANANTHASUBRAMANIAN & CO., Company Secretaries, as the Scrutinizer for conducting the remote e-voting process and the physical voting process at the meeting in a fair and transparent manner.

The Scrutinizer shall after the conclusion of voting at the EGM, within forty eight hours of the conclusion of the EGM, issue a consolidated Report of the total votes cast in favour of or against the Special Resolution to the Chairman of the meeting.

The Voting Results will be announced by the Bank to the stock exchanges, hosted in the website of the Bank and informed to CDSL, the e-voting agency.

The instructions for Remote E-Voting are as under:

Members are requested to follow the instruction below to cast their vote through e-voting:

- i) **The e-voting period begins on 27th January 2018 at 9.00 a.m.(IST) and ends on 29th January 2018 at 5.00 p.m.(IST).** During this period shareholders of the Bank, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date 23rd January 2018 may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter.
- ii) The shareholders should log on to the e-voting website www.evotingindia.com.
- iii) Click on Shareholders.
- iv) Now enter your User ID
 - a. For CDSL: 16 digits beneficiary ID,
 - b. For NSDL: 8 Character DP ID followed by 8 Digits Client ID,
 - c. Members holding shares in Physical Form should enter Folio Number registered with the Bank.
- v) Next enter the Image Verification as displayed and Click on Login.
- vi) If you are holding shares in demat form and had logged on to www.evotingindia.com and voted on an earlier voting of any company, then your existing password is to be used.



vii) यदि आप पहली बार प्रयोग कर रहे हो तो निम्नलिखित का पालन करें।

	डीमैट और भौतिक रूप में शेयर धारित करने वाले सदस्यों के लिए
पैन	आयकर विभाग द्वारा जारी अपना 10 अंकों का अल्फान्यूमेरिक पैन प्रविष्ट करें (दोनों डीमैट और भौतिक रूप से शेयर धारित करने वालों पर लागू) - सदस्य जिन्होंने अपना पैन कंपनी / डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास अद्यतन नहीं कराया है उनसे अनुरोध है कि वे अपने नाम के पहले दो अक्षरों और पैन फील्ड में सिक्वेंस संख्याओं के 8 अंक का प्रयोग करें - यदि सिक्वेंस संख्या 8 अंकों से कम है तो संख्या से पहले और अपने नाम के दो अक्षरों को कैपिटल लैटर में लिखने के बाद जितनी संख्याओं की आवश्यकता हो उतने '0' (शून्य) प्रविष्ट करें यानि आपका नाम रमेश कुमार है और सिक्वेंस संख्या 1 है तब पैन फील्ड में आरए00000001 प्रविष्ट करें।
लाभांश बैंक विवरण या जन्म तिथि (डीओबी)	लाग इन करने के लिए लाभांश बैंक या जन्म तिथि (डीडी/एमएम/वाईवाईवाईवाई प्रारूप में) प्रविष्ट करें जैसा कि आपके डीमैट खाते में दर्ज है। यदि दोनों विवरण डिपोजिटरी या बैंक के पास दर्ज नहीं है तब कृपया लाभांश बैंक विवरण खाली स्थान में (iv) में दिए अनुदेशों के अनुसार सदस्य आईडी / फोलियो संख्या प्रविष्ट करें।

(vii) If you are a first time users follow the steps given below:

	For Members holding shares in Demat Form and Physical Form
PAN	Enter your 10 digit alpha-numeric PAN issued by Income Tax Department (Applicable for both demat shareholders as well as physical shareholders) - Members who have not updated their PAN with the Bank/Depository Participant are requested to use the first two letters of their name and the 8 digits of the sequence number in the PAN field. - In case the sequence number is less than 8 digits enter the applicable number of 0's before the number after the first two characters of the name in CAPITAL letters. Eg. If your name is Ramesh Kumar with sequence number 1 then enter RA00000001 in the PAN field.
Dividend Bank Details OR Date of Birth (DOB)	Enter the Dividend Bank Details or Date of Birth (in dd/mm/yyyy format) as recorded in your demat account or in the Bank records in order to login. If both the details are not recorded with the depository or Bank please enter the member id / folio number in the Dividend Bank details field as mentioned in instruction (iv).

(viii) इन विवरणों को सही प्रकार से भरने के बाद “सबमिट” टैब पर क्लिक करें।

(ix) भौतिक रूप में शेयर धारित करने वाले सदस्य इसके बाद सीधे कंपनी चयन की स्क्रीन पर पहुंच जाएंगे। हालांकि, डीमैट रूप में शेयर धारित करने वाले सदस्य ‘पासवर्ड क्रिएशन’ मेन्यू पर पहुंचेंगे यहां उन्हें अपना लाग इन और पासवर्ड, नए पासवर्ड फील्ड में, अनिवार्य रूप से प्रविष्ट करना होगा। कृपया ध्यान दें कि इस पासवर्ड को डीमैट शेयरधारकों द्वारा अन्य कंपनियों के संकल्पों की वोटिंग के लिए, जिनके लिए वे वोट करने के लिए पात्र हैं, वहां भी इस्तेमाल किया जाएगा बशर्ते कि कंपनी ई-वोटिंग के लिए सीडीएसएल के प्लेटफार्म का विकल्प चुनती है। यह जोर देकर बताया जा रहा है कि अपना पासवर्ड किसी अन्य के साथ साझा नहीं करें और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने के लिए अत्यंत सावधानी बरतें।

(x) भौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों का विवरण सिर्फ इस नोटिस में मौजूद संकल्प पर ई-वोटिंग के लिए उपयोग में लाया जा सकता है।

(xi) इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के ईवीएसएन पर क्लिक करें।

(xii) वोटिंग पेज पर आपको “रिजोल्यूशन डिस्क्रिप्शन” दिखाई देगा और उसी विकल्प में वोटिंग के लिए “यस/ नो” का विकल्प मिलेगा। अपनी इच्छा अनुसार यस या नो का चयन करें। विकल्प

(viii) After entering these details appropriately, click on “SUBMIT” tab.

(ix) Members holding shares in physical form will then directly reach the Company selection screen. However, members holding shares in demat form will now reach ‘Password Creation’ menu wherein they are required to mandatorily enter their login password in the new password field. Kindly note that this password is to be also used by the demat holders for voting for resolutions of any other company on which they are eligible to vote, provided that company opts for e-voting through CDSL platform. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.

(x) For Members holding shares in physical form, the details can be used only for e-voting on the resolutions contained in this Notice.

(xi) Click on the EVSN of Indian Overseas Bank.

(xii) On the voting page, you will see “RESOLUTION DESCRIPTION” and against the same the option “YES/NO” for voting. Select the option YES or NO as desired. The option YES implies that you assent to



यस का मतलब होगा कि आप संकल्प के पक्ष में हैं और विकल्प नो का अर्थ है कि आप संकल्प से सहमत नहीं हैं।

- (xiii) यदि आपको पूरा संकल्प विवरण देखना है तो “रिजाल्यूशन फाइल लिंक” पर क्लिक करें।
- (xiv) वोट के लिए संकल्प का चयन करने के बाद “सबमिट” पर क्लिक करें। एक पुष्टि बाक्स आपके सामने प्रदर्शित होगा। यदि आप अपने वोट को पुष्ट करना चाहते हैं तो “ओके” को क्लिक करें अन्यथा अपना वोट बदलने के लिए “कैंसिल” पर क्लिक करें और तदनुसार अपना वोट बदलें।
- (xv) संकल्प पर एक बार अपने वोट की “पुष्टि” करने के बाद आपको अपने वोट में बदलाव करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- (xvi) आप वोटिंग पेज पर “क्लिक हियर टू प्रिंट” विकल्प से डाले गए वोटों का प्रिंट भी ले सकते हैं।
- (xvii) यदि कोई डीमैट खाता धारक अपना लाग इन पासवर्ड भूल गया है तो उसे यूजर आइडी और इमेज वेरिफिकेशन कोड प्रविष्ट करना होगा और फोरगोट पासवर्ड पर क्लिक करना होगा।
- (xviii) शेयरधारक अपना वोट सीडीएसएल के मोबाइल एप एम-वोटिंग के ज़रिए भी डाल सकते हैं जो एंड्रॉइड आधारित मोबाइल पर उपलब्ध है। एम वोटिंग एप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। एपल और विंडोज़ फोन इस्तेमाल करने वाले उपयोगकर्ता एप स्टोर या विंडोज़ फोन स्टोर से क्रमशः एप को डाउनलोड कर सकते हैं। अपने मोबाइल पर वोट करते हुए कृपया अपने मोबाइल पर आ रहे अनुदेशों का पालन करें।

XIX) गैर-वैयक्तिक शेयरधारकों एवं अभिरक्षकों के लिए नोट

- गैर-वैयक्तिक शेयरधारकों (यानि वैयक्तिक, एचयूएफ, एनआरआई इत्यादि के अलावा) और संरक्षकों को www.evotingindia.com पर लॉग इन करना होता है और खुद को कॉर्पोरेट के तौर पर पंजीकृत कराना होता है।
- पंजीकरण फॉर्म की स्कैन्ड प्रति जिस पर ईकाई का स्टैंप और हस्ताक्षर अंकित होता है उसे helpdesk.evoting@cdslindia.com को ईमेल किया जाएगा।
- लॉग इन विवरण प्राप्त करने के पश्चात एडमिन लॉग इन और पासवर्ड की मदद से एक अनुपालन उपयोगकर्ता सृजित करना होगा। अनुपालन उपयोगकर्ता उस खाते (खातों) को लिंक कर सकेगा जिनके लिए वे वोट करना चाहते हैं।
- लॉग इन में लिंक किए गए खातों की सूची helpdesk.evoting@cdslindia.com को मेल की जानी चाहिए और खातों की मंजूरी मिलने के बाद वे अपना वोट डाल सकेंगे।
- बोर्ड संकल्प और मुख्तारनामा (पीओए) जिसे उन्होंने संरक्षक के पक्ष में जारी किया है, यदि कोई है तो, उसे पीडीएफ प्रारूप में संवीक्षक द्वारा जांच के लिए प्रणाली में अपलोड किया जाएगा।
- यदि ई-वोटिंग के सम्बन्ध में आपके प्रश्न हैं या मामले हैं तो आप अक्सर पूछे गए प्रश्नों (“एफएक्यू”) और www.evotingindia.com पर हेल्प सेक्शन के अंतर्गत उपलब्ध

the Resolution and option NO implies that you dissent to the Resolution.

- (xiii) Click on the “RESOLUTIONS FILE LINK” if you wish to view the entire Resolution details.
- (xiv) After selecting the resolution you have decided to vote on, click on “SUBMIT”. A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on “OK”, else to change your vote, click on “CANCEL” and accordingly modify your vote.
- (xv) Once you “CONFIRM” your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.
- (xvi) You can also take a print of the votes cast by clicking on “Click here to print” option on the Voting page.
- (xvii) If a demat account holder has forgotten the login password then Enter the User ID and the image verification code and click on Forgot Password & enter the details as prompted by the system.
- (xviii) Shareholders can also cast their vote using CDSL’s mobile app m-Voting available for android based mobiles. The m-Voting app can be downloaded from Google Play Store. Apple and Windows phone users can download the app from the App Store and the Windows Phone Store respectively. Please follow the instructions as prompted by the mobile app while voting on your mobile.
- (xix) **Note for Non – Individual Shareholders and Custodians**
 - Non-Individual shareholders (i.e. other than Individuals, HUF, NRI etc.) and Custodians are required to log on to www.evotingindia.com and register themselves as Corporates.
 - A scanned copy of the Registration Form bearing the stamp and sign of the entity should be emailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com.
 - After receiving the login details a Compliance User should be created using the admin login and password. The Compliance User would be able to link the account(s) for which they wish to vote on.
 - The list of accounts linked in the login should be mailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com and on approval of the accounts they would be able to cast their vote.
 - A scanned copy of the Board Resolution and Power of Attorney (POA) which they have issued in favour of the Custodian, if any, should be uploaded in PDF format in the system for the scrutinizer to verify the same.
 - In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions (“FAQs”) and e-voting manual available



ई-वोटिंग मैनुअल का संदर्भ ले सकते हैं या helpdesk.evoting@cdslindia.com को मेल कर सकते हैं या सीडीएसएल को 1800225533 पर संपर्क कर सकते हैं।

- जो लोग रीमोट ई-वोटिंग का विकल्प नहीं चुनते हैं वे इस नोटिस में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार 30 जनवरी 2018 को होने वाली बैठक में मतदान के दौरान अपना वोट डाल सकते हैं।
- बैंक की असाधारण सामान्य बैठक के दिन या उसके बाद ई-वोटिंग के परिणाम घोषित किए जाएंगे। घोषित परिणाम को संवीक्षक की रिपोर्ट के साथ बैंक के ईजीएम के दो दिनों के बाद बैंक की वेबसाइट यानि www.iob.in और सीडीएसएल की वेबसाइट यानि <https://www.evotingindia.com> पर डाला जाना चाहिए और एनएसई / बीएसई को भी सूचित किया जाना चाहिए।

निदेशक मंडल के आदेश से
कृते इण्डियन ओवरसीज बैंक

चेन्नै

04.01.2018

(आर सुब्रमण्यकुमार)
प्रबन्ध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी

व्याख्यात्मक विवरण

कार्यसूची मद संख्या 1:

- ए) 31 मार्च 2017 तक अतिरिक्त प्रीमियमों के कारण विगत शेयर निर्गमों के परिणाम स्वरुप शेयर प्रीमियम खाते में रकम रु 7650,06,21,325.42 जमा है। बैंक को दिनांक 31 मार्च 2017 तक अपने बैंक के लाभ व हानि खाते में रु 6978,94,49,295.04 का संचित घाटा भी जमा है।
- बी) बैंक ने शेयर प्रीमियम खाते में जमा रकम को संचित घाटे के निपटान के लिए प्रयोग के लिए प्रस्ताव किया है।
- सी) तदनुसार बैंक 31.03.2017 को शेयर प्रीमियम खाते में जमा रकम रु 7650,06,21,325.42 (रु सात हजार छः सौ पचास करोड़ छः लाख इक्कीस हजार तीन सौ पच्चीस एवं बयालीस पैसे मात्र) में से रु 6978,94,49,295.04 (रु छः हजार नौ सौ अठहत्तर करोड़ चौरानबे लाख उन्चास हजार दो सौ पच्चाबे एवं चार पैसे मात्र) को लाभ एवं हानि खाते में कुल संचित हानि रु 6978,94,49,295.04 (रु छः हजार नौ सौ अठहत्तर करोड़ चौरानबे लाख उन्चास हजार दो सौ पच्चाबे एवं चार पैसे मात्र) की नामे रकम (संचित घाटा) का समायोजन लाभ हानि खाते को अंतरित करने का प्रस्ताव कर रहा है वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान शेयर प्रीमियम खाता तदनुसार घट जाएगा।

at www.evotingindia.com, under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact CDSL at 1800225533

- Those who do not opt for remote e-voting can cast their votes at the Poll to be conducted at the meeting on 30th January 2018, as per the procedure stated elsewhere in this Notice.
- The Results of the e-voting shall be declared on or after the EGM of the Bank. The Results declared along with Scrutinizer's Report shall be placed on the Bank's website i.e. www.iob.in and on the website of CDSL i.e. <https://www.evotingindia.com> within two days of the EGM of the Bank and also communicated to NSE/BSE.

By Order of the Board of Directors

For Indian Overseas Bank

Place: Chennai

Date : 04.01.2018

R SUBRAMANIAKUMAR

Managing Director & CEO

Explanatory Statement

Agenda Item No.1

- a) As at 31st March 2017, an amount of Rs.7650,06,21,325.42 is standing to the credit of Share Premium Account, as a result of earlier share issues being at substantial premium. Further, the Bank has accumulated losses of Rs.6978,94,49,295.04 in its Profit and Loss Account as at 31st March 2017.
- b) The Bank proposes to utilize the amount standing in Share Premium Account for the purpose of setting off the accumulated losses.
- c) Accordingly the Bank proposes to utilize an amount of Rs.6978,94,49,295.04 (Rupees Six Thousand Nine Hundred and Seventy Eight Crore, Ninety Four Lakh, Forty Nine Thousand, Two Hundred and Ninety Five and paise Four only) out of an amount of Rs.7650,06,21,325.42 (Rupees Seven Thousand Six Hundred and Fifty Crore, Six Lakh, Twenty One Thousand, Three Hundred and Twenty Five and paise Forty Two only) being the balance standing to the credit of 'Share Premium Account' as at 31.03.2017 by transfer to the credit of the Profit & Loss Account of the Bank for adjustment of the debit balance (accumulated losses) of Rs.6978,94,49,295.04 (Rupees Six Thousand Nine Hundred and Seventy Eight Crore, Ninety Four Lakh, Forty Nine Thousand, Two Hundred and Ninety Five and paise Four only)



डी) यदि उपर्युक्त प्रस्तावित शेयर प्रीमियम कटौती अनुमोदित की जाती है तो उसके प्रभाव के रूप में दिनांक 31.03.2017 जमा रु 6978,94,49,295.04/- संचित घाटा तदनुसार घट जाएगा।

ई) बैंक का मत है कि वर्तमान समय में बैंक की वास्तविक वित्तीय स्थिति को स्पष्ट करने के लिए यह सबसे ज्यादा व्यवहार्य उपलब्ध विकल्प है।

एफ) बैंक अपनी वास्तविक वित्तीय स्थिति स्पष्ट करने में समर्थ होगा जिससे कि शेयरधारकों को लाभ होगा क्योंकि इससे उनकी शेयरधारित पर बेहतर मूल्य प्राप्त होगा एवं यह बैंक को भी शेयरधारकों को लाभ पहुंचाने के मौके प्रदान करने में सक्षम बनाएगा जिसमें निश्चित समयसीमा में लागू प्रावधानों के अनुसार लाभांश भुगतान भी शामिल होगा। यह प्रस्ताव निश्चित समय-सीमा के अंदर टर्नअराउंड योजनाओं को प्राप्त करने के लिए बैंक को अच्छी स्थिति में लाएगा।

जी) बैंकिंग कंपनी अधिनियम (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) 1970 उपलब्ध आस्तियों द्वारा अप्रस्तुत अथवा कोई भी प्रदत्त पूँजी जो कि नष्ट हो चुकी हो को निरस्त करने के माध्यम से पूँजी में कमी करने का अधिकार प्रदान करता है कि एवं शेयर प्रीमियम खाते के विरुद्ध संचित हानि के निपटान हेतु ऐसा कोई भी विनिर्दिष्ट प्रावधान या निषेध नहीं है।

एच) चूंकि शेयर प्रीमियम खाते के उपयोग बैंक की संचित हानि के निपटान के उद्देश्य से किए जाने के प्रस्ताव से पूँजी में कमी आएगी, इसलिए बैंकिंग कंपनी अधिनियम (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) 1970 की धारा 3 (2बीबीए) के प्रावधानों के अनुसार विशेष संकल्प द्वारा बैंक के शेयर धारकों का अनुमोदन लिया जा रहा है जो कि विशेष संकल्प के माध्यम से शेयरधारकों के अनुमोदन द्वारा पूँजी में कमी करने की अनुमति देता है।

आई) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 17(2) यह प्रावधान करती है कि शेयर प्रीमियम खाते में से किसी राशि या राशियों का जब बैंक द्वारा समायोजन किया जाता है, तो ऐसे समायोजन की तिथि से इक्कीस दिनों के भीतर बैंक ऐसे समायोजन से संबंधित परिस्थितियों का उल्लेख करते हुए रिजर्व बैंक को मामले की रिपोर्ट देगा। बैंक इस अपेक्षा का अनुपालन निर्धारित समयावधि के भीतर करेगा। आवश्यक अनुमोदन प्राप्त किए जा चुके हैं।

जे) शेयर प्रीमियम खाते में कमी की प्रक्रिया में उस खाते में जमा के रूप में स्थित राशि को घटाते हुए लाभ व हानि खाते में नामे शेष को सेट-ऑफ करना शामिल है, जिसके कारण अपने शेयरधारकों को बैंक द्वारा

as at 31.03.2017 and the Share Premium account will accordingly stand reduced during the current Financial Year 2017-18.

d) The effect of the aforesaid proposed Share Premium Reduction, if approved and finalised, would be that the accumulated losses, which as on 31.03.2017 stood at Rs. 6978,94,49,295.04, will accordingly stand reduced.

e) The Bank is of the view that this is the most practical and economically efficient option available to the Bank in the present scenario so as to present a true and fair view of the financial position of the Bank.

f) The Bank will be able to represent its true financial position which would benefit shareholders as their holding will yield better value and also enable the Bank to explore opportunities to the benefit of the shareholders of the Bank including in the form of dividend payment as per the applicable provisions within a reasonable timeframe. The proposal will also put the Bank in a better position to achieve its Turnaround Plans in a time-bound manner.

g) While The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970 provides for reducing its paid-up capital by cancelling any paid-up capital which is lost, or is unrepresented by available assets, there is no specific provision or prohibition to set-off the accumulated losses against the Share Premium account.

h) As the proposed utilization of Share Premium account of the Bank for the purpose of setting off accumulated losses would be deemed to be a capital reduction, approval of the shareholders of the Bank by way of a Special Resolution is being sought pursuant to provisions of Section 3(2BBA) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 which permits the reduction of paid up capital of the Bank with the approval of the shareholders by way of a Special Resolution.

i) Section 17(2) of The Banking Regulations Act, 1949 provides that where the Bank appropriates any sum or sums from the Share Premium account, it shall within twenty-one days from the date of such appropriation, report the fact to the Reserve Bank, explaining the circumstances relating to such appropriation. The Bank will comply with this requirement within the prescribed time period. The Bank has obtained necessary approvals in this regard.

j) The reduction of Share Premium account which involves set off of debit balance in P& L account



किसी भी प्रकार के उनमोचन की आवश्यकता नहीं होती। तदनुसार, शेयर प्रीमियम खाते में की गई कमी के पश्चात बैंक के ईक्विटी पूँजी ढाँचे में और शेयरधारिता पैटर्न में कोई बदलाव नहीं होगा। शेयरों का बही-मूल्य भी यथावत अपरिवर्तित रहेगा।

by reducing the amount standing to the credit of the Share Premium account does not entail discharge of any consideration by the Bank to its shareholders. Accordingly, the Bank's equity capital structure and shareholding pattern post reduction of Share Premium account will remain unchanged. The Book Value of the shares will also remain unchanged.

शेयरधारिता पैटर्न

Shareholding Patten

क्रम सं. Sl. No.	वर्ग Category		Prior to the Reduction of Share Premium Account		After the Reduction of Share Premium Account	
			धारित शेयरों की संख्या No. of shares held	शेयरधारिता की प्रतिशतता Percentage of shareholding	धारित शेयरों की संख्या No. of shares held	शेयरधारिता की प्रतिशतता Percentage of shareholding
अ. A.	प्रवर्तकों की धारिता भारत सरकार	Promoter’s Holding: GOI	2350873260	82.41	2350873260	82.41
आ. B.	गैर प्रवर्तकों की धारिता	Non Promoter Holding:				
	जनता	Public	501685686	17.59	501685686	17.59
	कुल योग	Grand Total	2852558946	100.00	2852558946	100.00

ठ) शेयरधारकों और लेनदारों के अधिकार पूर्वाग्रह रूप से प्रभावित नहीं होते।

बैंक और उसके शेयरधारकों के बेहतरीन हित में शेयर प्रीमियम खाते के उपयोग से संबंधित उक्त प्रस्ताव को निदेशक मंडल ने अनुमोदित किया है और इसलिए इसको शेयरधारकों के अनुमोदन हेतु संस्तुत किया जाता है।

बैंक के किसी भी निदेशक का इस संकल्प से कोई संबंध नहीं है और न ही उनका कोई इसमें हित है।

k) The rights of the shareholders and creditors are not prejudicially affected.

The Board of Directors have approved the above proposal of utilization of Share Premium account in the best interests of the Bank and its shareholders and therefore recommend the same for approval by the shareholders.

None of the Directors of the Bank are concerned or interested in the resolution.

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा

कृते इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

(आर. सुब्रमण्यकुमार)
प्रबंधक निदेशक व सीईओ

By Order of the Board of Directors

For Indian Overseas Bank

R SUBRAMANIAKUMAR
Managing Director & CEO

स्थान : चेन्नै

दिनांक : 04.01.2018

Place: Chennai

Date : 04.01.2018



Indian Overseas Bank
Central Office
763, Anna Salai, Chennai-600002

ATTENDANCE SLIP

(to be surrendered at the time of Entry to the Venue)

Date: 30th January 2018

Time: 10.30 a.m.

Place: Sathguru Gnanananda Hall, Narada Gana Sabha, 314 TTK Road, Chennai- 600 018

I hereby record my presence at the Extraordinary General Meeting of the Bank.

Regd.Folio		DP ID & Client ID	
(If not dematerialised)		(If dematerialised)	
Name of the Shareholder			
Number of Shares			
Signature of the Shareholder /Proxy/ Representative present			

I hereby record my presence at the Extraordinary General Meeting of the Bank held on 30th January 2018 at Chennai.

Signature of the Shareholder/Proxy/Authorised Representative	
---	--

इण्डियन ओवरसीज बैंक
केंद्रीय कार्यालय, 763, अण्णा सालै, चेन्नई 600002

उपस्थिति पर्ची
(बैठक के स्थान पर प्रवेश के समय प्रस्तुत की जानी है)

दिनांक	30 जनवरी 2018		
समय	प्रातः 10:30 बजे		
स्थान	नारद गान सभा (सतगुरु ज्ञानानन्दा हाल) 314 टीटीके रोड, चेन्नई - 600 018		
पंजीकृत पृष्ठ संख्या (यदि बेकागजीकृत नहीं है)		डीपीआईडी व ग्राहक आई डी (यदि बेकागजीकृत है)	
शेयरधारक का नाम			
शेयरों की संख्या			
शेयरधारक/प्राक्सी/उपस्थित प्रतिनिधि के हस्ताक्षर			

मैं, 30 जनवरी 2018 को चेन्नई में आयोजित बैंक की असाधारण सामान्य बैठक में एतद्वारा अपनी उपस्थिति दर्ज कराता हूँ ।

शेयरधारक/प्राक्सी/उपस्थित प्रतिनिधि के हस्ताक्षर	
--	--



इण्डियन ओवरसीज बैंक

केंद्रीय कार्यालय, 763, अण्णा सालै, चेन्नै 600002

केंद्रीय कार्यालय,

प्रॉक्सी फॉर्म (बी)

(शेयरधारक द्वारा भरने व हस्ताक्षरित करने के लिए)

पंजीकृत पृष्ठ
(यदि बेकागजीकृत नहीं है)
डीपीआईडी व क्लाइंट आई डी
(यदि बेकागजीकृत है)

मैं / हम निवासी जिला राज्य..... इण्डियन ओवरसीज बैंक चेन्नै के शेयरधारक / धारकों के नाते एतद्द्वारा श्री / श्रीमती निवासी जिला राज्य..... को , अथवा इनके न होने पर श्री /श्रीमती कृपया रु 1 का राजस्व स्टाम्प निवासी जिला राज्य..... को इण्डियन ओवरसीज बैंक के शेयरधारकों की मंगलवार, दिनांक 30 जनवरी, 2018 को सुबह 10.30 बजे नारदगान सभा, 314 सदगुरु ज्ञानानंद हाल 314 टीटीके रोड, चेन्नै 600018 में होने वाली असाधारण सामान्य बैठक और उसके किसी स्थगन के बाद मुझे / हमारे लिए मेरी / हमारी ओर से वोट देने के लिए प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त करता हूं / करती हूँ / करते हैं ।

आज वर्ष 2018 के माह के दिन हस्ताक्षरित

कृपया रु 1 का रेवेन्यू स्टैम्प चिपकाएं

कृपया रु 1/- का
रेवेन्यू स्टैम्प
चिपकाएं

प्रॉक्सी के हस्ताक्षर

प्रथम नामांकित / एकल शेयरधारक के हस्ताक्षर

नाम :

पता :

प्रॉक्सी फार्म पर हस्ताक्षर करने और प्रस्तुत करने के लिए अनुदेश

- कोई भी प्रॉक्सी लिखत तब तक वैध नहीं होगा जब तक
 - एक शेयरधारक के मामले में उनके एटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो जिसे लिखित रूप में विधिवत प्राधिकृत किया गया हो।
 - संयुक्त धारकों के मामले में रजिस्टर में उल्लिखित पहले शेयरधारक या उनके एटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो जिसे लिखित रूप में विधिवत प्राधिकृत किया गया हो।
 - संघ निकाय के मामले में उसके अधिकारी द्वारा या एटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो जिसे विधिवत लिखित रूप में प्राधिकृत किया गया हो।
- किसी प्राक्सी का लिखत किसी ऐसे शेयर धारक द्वारा यथेष्ट रूप में हस्ताक्षरित हो, जो किसी कारणवश अपना नाम नहीं लिख सकता हो यदि उस पर उसका निशान लगा दिया जाए जो वह निशान किसी न्यायाधीश, दण्डाधिकारी, आशवासनों के पंजीयक या अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी या इण्डियन ओवरसीज बैंक के किसी अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित हो।

प्रॉक्सी के साथ-साथ

- क. मुख्तारनामा या अन्य कोई अधिकार (यदि हो) जिसके तहत इसे हस्ताक्षरित किया गया है या
 - मुख्तारनामा या अन्य कोई अधिकार की प्रति जो नोटरी पब्लिक या दण्डाधिकारी द्वारा सुयोग्य प्रति के रूप में सत्यापित हो, शेयर विभाग, प्रधान कार्यालय, इण्डियन ओवरसीज बैंक केंद्रीय कार्यालय, 763 अण्णा सालै, चेन्नै - 600 002 में असाधारण सामान्य बैठक की तारीख से चार दिन पहले अर्थात् गुरुवार 25 जनवरी 2018 को शाम 5.00 बजे को बैंक के कार्यसमय की समाप्ति से पूर्व जमा करा दिया जाना है।
- प्रॉक्सी का कोई भी लिखत तब तक वैध नहीं होगा जब तक विधि स्टाम्प नहीं लगाया गया हो।
 - बैंक में जमा किया गया प्राक्सी का लिखत अंतिम अप्रतिसंहरणीय होगा।
 - दो व्यक्तियों के पक्ष में मंजूर किए गए प्रॉक्सी के लिखत के मामले में एक ही फार्म निष्पादित किया जाना है।
 - जिस शेयर धारक ने प्रॉक्सी का लिखत निष्पादित किया है वह संबंधित आसाधारण सामान्य बैठक में स्वयं मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा।
 - इण्डियन ओवरसीज बैंक के किसी भी अधिकारी अथवा कर्मचारी को विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि या प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए।



Indian Overseas Bank

Central Office
763, Anna Salai, Chennai – 600 002

PROXY FORM (Form 'B')

(To be filled in and signed by the Shareholder)

Regd. Folio
(If not dematerialised)
DP ID & Client ID
(If dematerialised)

I/We _____ resident(s) of _____ in the district of _____ in the State of _____ being a shareholder / shareholder(s) of Indian Overseas Bank, Chennai, hereby appoint Shri /Smt. _____ resident of _____ in the district of _____ in the State of _____ or failing him/her, Shri/Smt. _____ resident of _____ in the district of _____ in the State of _____ as my / our proxy to vote for me / us and on my / our behalf at the Extraordinary General Meeting of the shareholders of Indian Overseas Bank to be held on Tuesday, 30th January 2018 at 10.30 a.m. at Sathguru Gnanananda Hall, Narada Gana Sabha, 314, TTK Road, Alwarpet, Chennai 600 018 and at any adjournment thereof.

Please
Affix Re.1/-
Revenue
Stamp

Signed this _____ day of _____ 2018

Signature of Proxy

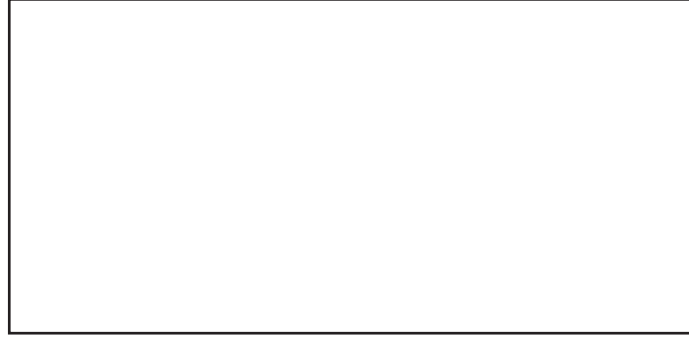
Signature of First named/Sole Shareholder

Name :

Address :

INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGING THE PROXY FORM

- No instrument of proxy shall be valid unless,
 - in the case of an individual shareholder, it is signed by him / her or his / her attorney, duly authorized in writing,
 - in the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the register or his / her attorney, duly authorized in writing,
 - in the case of a body corporate signed by its officer or an attorney duly authorized in writing.
- An instrument of proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his / her name, if his / her mark is affixed thereto and attested by a Judge or Magistrate or Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Government Gazetted Officer or an Officer of Indian Overseas Bank.
- The proxy together with the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed, or a copy of the power of the attorney or authority, certified by a Notary Public or a Magistrate, should be deposited at the Central Office of the Bank with the Company Secretary, Indian Overseas Bank, Investor Relations Cell, Balance Sheet Management Department, Central office, 763, Anna Salai, Chennai – 600 002 not less than **FOUR DAYS** before the date of the Extraordinary General Meeting i.e., **on or before 5.00 P.M., the closing hours of the Bank on Thursday, 25th January 2018.**
- No instrument of Proxy shall be valid unless it is duly stamped and it is in Form “B”.
- An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
- In case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
- The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the Extraordinary General Meeting to which such instrument relates.
- No person shall be appointed as duly authorized representative or a proxy who is an officer or an employee of Indian Overseas Bank.**



वितरण न होने की स्थिति में निम्न पते पर वापस करें:

मेसर्स केमियो कॉर्पोरेट सर्विसेज़ लि.

(यूनिट- इण्डियन ओवरसीज़ बैंक) सुब्रमणियन बिल्डिंग

पांचवां तल, नं.1- क्लब हाउस रोड, चेन्नै- 600002

दूरभाष: 044-28460390 (छ: लाइनें)/ 044-28460395/0084

फैक्स: 044-28460129 ई मेल: cameo@cameoindia.com

If undelivered, please return to :

M/s Cameo Corporate Services Ltd

(Unit INDIAN OVERSEAS BANK)

Subramanian Building, 5th Floor, No.1, Club House Road, Chennai 600 002

Tel : 044-28460390 (Six Lines)/ 044-28460395

Fax : 044-28460129 email : cameo@cameoindia.com



इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
Indian Overseas Bank

आपकी प्रगति का सच्चा साथी

Good people to grow with

<http://www.iob.in>